

291  
25

वकील अभ्यक्ष उप.। मूल प्रा०-पत्र  
अ० धारा आ० 9 नियम 13 सी.पी.सी  
का निर्णय होने पर उक्त प्रा० पत्र अ०  
धारा 15। सी.पी.सी. इस स्तर पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली पूर्व में  
पारित सूक्त रफा कार्यवाही निरस्त  
की जाती है। पत्रावली फसलशुमार  
नम्बर से कम की जाकर काखिल  
दफ्तर है।

र

